एसटीपी में फर्जी डीजल खपत के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट

बिजली निगम से एसटीपी को होती है अबाध आपूर्ति फिर भी प्रति माह हजारों लीटर डीजल खर्च दिखाया जाता है

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कागजों पर ही विकास कार्य दिखा कर करोड़ों रुपये हेराफेरी करने के लिए बदनाम नगर निगम अधिकारी काली कमाई का कोई मौका जाने नहीं देते हैं। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में जेनरेटर सेट की डीजल सप्लाई में करोड़ों रुपये का खेल किया जाना सामने आया है। अति आवश्यक सेवा होने के कारण बिजली निगम एसटीपी को निर्बाध बिजली आपूर्ति करता है, बावजूद इसके यहां बिना रिकॉर्ड के ही जेनरेटर पर हजारों लीटर डीजल खर्च होना दिखाया गया। फर्जी खपत दिखा कर हजारों लीटर डीजल हजम करने के खेल में ऑपरेटर व जेई से लेकर नगर निगम के आला अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

शहर से रोजाना निकलने वाले सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए मिर्जापुर/ प्रतापगढ़ में 45 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। बिजली कटने की हालत में एसटीपी और पंपिंग स्टेशन को चलाने के लिए यहां डीजल जेनरेटर सेट की व्यवस्था है। एसटीपी चलाने और देखभाल का ठेका मेसर्स गिरधारी लाल अग्रवाल कॉंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी

मनोज, जेई नगर निगम

प्रतापगढ़ मिर्जापुर एसटीपी

को मिला है जबकि नगर निगम के जेई मनोज लंबे समय से एसटीपी का संचालन कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एमसीएफ के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक ठेका कंपनी में जेई मनोज की हिस्सेदारी है, पर्दे के पीछे से वह ही इसे चला रहा है।

कंपनी ऑपरेटर और जेई की मिलीभगत से यहां बिजली कटौती बिना ही प्रति माह आठ से दस हजार लीटर डीजल की खपत दिखा दी गई। नियमानुसार डीजल खपत की लॉग बुक होनी चाहिए जिसमें बिजली की कटौती कितने बजे हुई, कितने बजे जेनरेटर सेट चालू किया गया, कब बिजली आपूर्ति बहाल हुई और कब जेनरेटर बंद किया गया इसका ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जेनरेटर सेट में प्रति घंटा कितनी डीजल खपत होती है इसका औसत दर्ज होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। न ही अधिकारियों द्वारा सत्यापित कोई लॉग बुक रखी गई। एक साधारण रजिस्टर में ही डीजल खपत की एंट्री दिखा दी जाती और मनोज जेई हस्ताक्षर कर इसका सत्यापन करता। यही नही पूर्व एसडीओ नवल सिंह भी इस रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों का सत्यापन करते थे। मनोज जेई की अनुमित से ही एक बार में एसटीपी के जेनरेटर सेट के लिए एक हजार लीटर डीजल की पर्ची कटती।

बताते चलें कि बिजली निगम के कंट्रोल रूम इंचार्ज देशराज कौशिक का कहना है कि केवल फाल्ट या परमिट (उदाहरणार्थ नेशनल हाइवे पर किसी निर्माण के कारण) पर निर्धारित समय के लिए बिजली कटौती होती है अन्यथा चौबीस घंटे आपूर्ति दी जाती है। यानी एसटीपी की बिजली चौबीस घंटे आती है, जाहिर है ऐसे में हजारों लीटर डीजल की खपत का धन भ्रष्ट अधिकारियों के बीच बंटता है।

मामला दबाने में जुटे अधिकारी

प्रतापगढ़ एसटीपी में डीजल हेराफेरी का इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद आला अधिकारी मामले को दबाने में जुटे दिख रहे हैं।

लॉग बुक नहीं होना, जेनरेटर सेट की खपत का सत्यापित आंकड़ा न होने और लाखों रुपये की हेराफेरी सामने आने के बावजूद अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने के बजाय जेई और कंपनी के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब कर रहे हैं। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक डीजल का बिल पास नहीं होने की सूरत में कंपनी का कर्मचारी अनिल कुमार शर्मा सीधे चीफ इंजीनियर को फोन कर बिल पास करने अन्यथा एसटीपी ठप करने की धमकी देता है। एक छोटे कर्मचारी की इतनी हिम्मत तभी हो सकती है जब उसके मालिक को सत्ता पक्ष के राजनीतिक आकाओं का संरक्षण हासिल हो, शायद यही वजह है कि अधिकारी भी एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे लेकिन अपना दामन बचाने के लिए स्पष्टीकरण नोटिस का सहारा ले रहे हैं। संदर्भवश, भारी बरसात के चलते हुए जलभराव के समय जब कभी बिजली फेल हो जाती है तब इनका एसटीपी भी प्राय: बंद हो जाता है।

पूछने पर बताया जाता है कि जेनरेटर खराब हो गया जी, कभी जेनरेटर की बैटरी डाउन हो जाती है, कभी उसकी केबल फुकी होती है या कभी फैन बेल्ट टूटी होती है, यानी जब भी कभी बिजली जाती है इनका जेनरेटर काम नहीं करता। इस बात को लेकर अनेकों बार जिला उपायुक्त संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को डांटते फटकारते रहे हैं लेकिन ढाक के वही तीन पात।

नगर निगमायुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रखते हैं ठेंगे पर

- खुले नाले में गिरकर बच्चे की मौत के मामले में 25 जनवरी को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस

-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तब आए हरकत में

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) विकास के नाम विनाश करने और लूट कमाई के लिए अपने ही मनमाफिक नियम बनाने वाले नगर निगम अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी ठेंगे पर रखते हैं। एयफोर्स रोड पर खुले हुए नाले में 6 नवंबर 2022 को गिरकर 11 साल के कुणाल की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में 25 जनवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नगर निगम अधिकारियों ने इसका जवाब देने की जहमत ही नहीं उठाई। अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव हरियाणा को सख्त नोटिस जारी किया है तब अधिकारी हरकत में आए और ऐसा जवाब तैयार किया गया है जिसमें घटना के लिए कोई दोषी नहीं माना गया है।

एयरफोर्स रोड पर नगर निगम के सात फीट चौड़ा और पंद्रह फीट गहरा नाला है। इतने चौड़े नाले को न तो स्लैब से ढका गया था और न ही सेफ्टी वाल से घेरा गया था। रात के समय में रौशनी के लिए जो हाई मास्ट लाइट लगाई जानी थी वह एसडीओ और जेई ने पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना के कार्यालय के सामने लगा दी थी। छह नवंबर की शाम को अंधेरे में कुणाल अंदाजा नहीं लगा सका और नाले में जा गिरा। अंधेरा होने के कारण लोग भी बालक को नाले में गिरते हुए नहीं देख सके थे।

पिता अर्जुन सिंह ने बेटे की मौत के लिए नगर निगम के एसडीओ, जेई और निवर्तमान पार्षद को जिम्मेदार करार देते हुए डबुआ थाने में केस दर्ज कराया था। नगर निगम के अधिकारियों ने भी एक जांच कमेटी बैठाने का नाटक किया। पीड़ित परिवार के करीबी इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी हरबंस बंसल ने नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत होने की शिकायत 21 जनवरी 2023 को एनएचआरसी में की थी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और घटना के लिए नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके निर्देश जारी करने की मांग आयोग से की थी।

इस पर एनएचआरसी ने 25 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए जिला प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा था। लूट कमाई में मस्त भ्रष्ट अधिकारियों ने आयोग को जवाब देने की जहमत ही नहीं उठाई। हां जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने न जाने कौन से पैमाने पर जांच कर रिपोर्ट बना दी कि घटना के लिए कोई भी जिम्मेदार या दोषी नहीं पाया गया। कमेटी ने यह नहीं जांचा कि इतने चौड़े नाले को स्लैब से क्यों नहीं ढका गया, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था ? हाई मास्ट लाइट अपने निर्धारित स्थान की जगह विधायक के दफ्तर के पास बिना लिखित आदेश के क्यों और किसने लगाई ? इतने चौड़े नाले को बिना स्लैब और सेफ्टी वॉल के बनाने का टेंडर किस अधिकारी ने जारी किया ? कमेटी की रिपोर्ट को अंतिम फैसला मानते हुए अधिकारियों ने मामला फाइलों में दफन कर दिया।

छह महीने बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर एनएचआरसी ने 20 जून को मुख्य सचिव हरियाणा को सख्त पत्र जारी कर 28 जुलाई को रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया। हरकत में आए मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त से जवाब तलब किया। जिला उपायुक्त की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार कमेटी की जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया। हालाकि इस मामले में डबुआ थाने में एफआईआर दर्ज है और पुलिस की जांच लंबित है, पुलिस जांच पूर्ण होने पर जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अफसर एनएचआरसी को ठेंगे पर क्यों न रखें जब उसके पल्ले ही कुछ न हो। यदि एनएचआरसी में दम होता तो मुख्य सचिव को शिकायत करने के बजाय नगर निगम के उन तमाम अफसरों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लेता जिनकी वजह से लड़के को मौत के मुंह में ढकेला गया। सब अफसरों को पता है कि एनएचआरसी के कागजी घोड़े दौड़ भाग कर कुछ देर बाद अपने आप ही बैठ जाएंगे। जिस तरह उपायुक्त ने कमेटी की तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर किसी के भी दोषी नहीं पाए जाने की रिपोर्ट भेजी है, उसी तरह पुलिस भी किसी को भी दोषी न पाकर एफआईआर को कैंसिल करके मामला निपटा देगी, जय श्रीराम।

खट्टर को रबड़ स्टैंप समझते हैं नेता और नौकरशाह

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कहने को तो मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन नेताओं और अधिकारियों की नजर में शायद वह रबड़ की मुहर से ज्यादा कुछ नहीं। नेता जो चाहते हैं सीएम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, नौकरशाहों को नेता का फैसला बुरा लगा तो उनके दबाव में फैसला बदलते देर नहीं लगी। इस बार रबड़ की मुहर नौकरशाहों के हित में लग गई । इसका बेतरीन उदाहरण नगर निगम में तैनात ज्वाइंट कमिश्नर गौरव अंतिल को निलंबित करने और आठ दिन में ही फैसला पलट कर उसे निगम में ही अतिरिक्त आयुक्त की सीट सौंपना है।

दरअसल मामला यह था कि खट्टर ने करीब तीन महीने पहले शहरी स्वामित्व योजना के तहत बीस साल से अधिक पुराने लीज धारकों को मालिकाना हक देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत नगर निगम के क्षेत्राधिकार में करीब सवा आठ सौ लीज संपत्तियां आ रही थीं। योजना के तहत इनकी रजिस्ट्री शुरू की गई। दशकों पहले की लीज संपत्तियों की वर्तमान कीमत करोड़ों में होने के कारण दलाल, व्यापारी नेता आदि सभी सक्रिय हो गए। कई ऐसी लीज प्रॉपर्टी भी थीं जो स्वामित्व योजना की शर्तें पूरी नहीं कर रही थीं, अधिकतर में कुछ न कुछ कमी थी। कमी वाली लीज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने का ठेका शहर के व्यापारी नेता और दलालों ने लेना शुरू कर दिया। इस दौरान सवा सौ से अधिक प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री भी हो गई। बाकी प्रॉपर्टियों में लीज होल्डर की मृत्यु होने, लीज की पावर ऑफ अटार्नी नहीं होने, आदि प्रकार की गंभीर कमियां बताते हुए रजिस्ट्री में अड़ंगे लगाए जाने लगे।

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इन प्रॉपर्टियों को क्लियर कराने के लिए दलाल मोटी रकम की मांग कर रहे थे। बात नहीं बनने पर मामला अटका हुआ पड़ा था। इससे परेशान होकर व्यापारी नेता राम जुनेजा ने विधायक सीमा त्रिखा से शिकायत की। सीमा त्रिखा के कहने पर राम जुनेजा ने सीएम खट्टर से शिकायत कर दी। सीएम ने आनन फानन गौरव अंतिल के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। अभी निलंबन की जांच और चार्जशीट भी नहीं बन पाई थी कि नौकरशाहों के खेमे ने दबाव बनाया। खट्टर तक यह संदेश पहुंचाया गया कि जीतेंद्र दहिया तो केवल चेहरा है, सारे अधिकार तो गौरव अंतिल के ही पास हैं। वही उन फाइलों को भी पास कर रहा है जिन पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत निगमायुक्त नहीं कर पा रहे।

पार्टी के मददगार ठेकेदारों के विवादित बिल भुगतान का निर्णय भी वही करता है, ऐसे में यदि उसे बहाल नहीं किया गया तो ठेकेदार और दलाल नाराज हो जाएंगे, अगले साल चुनाव भी हैं ऐसे में पेंडिंग सभी काम समय रहते निपटा कर उनका भुगतान करना मजबूरी है। इस पर खट्टर ने आठ दिन के भीतर ही निलंबन वापस लेते हुए गौरव अंतिल को निगम के संयुक्त आयुक्त की जगह अतिरिक्त आयुक्त की कुर्सी थमा दी।